


**कार्यालय:-प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा, म0प्र0**


**--: विज्ञप्ति :-**

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क0 बी/342/चार 4 8/2016 दिनांक 17.01.2017 के पालन में प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय एवं विश्राम कक्ष में ए0सी0 स्थापित करने संबंधी नीति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017 18 में कुटुम्ब न्यायालय स्थापना अंतर्गत पदस्थ प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय एवं विश्राम कक्ष हेतु कुल 04 नग 5 स्टार रेटिंग 2.00 टन क्षमता के स्पिलट ए0सी0 एवं कुल 01 नग 5 स्टार रेटिंग 1.5 टन क्षमता के स्पिलट ए0सी0 मय स्टेपलाईजर, स्टेण्ड एवं इंस्टालेशन चार्ज सहित विभिन्न प्रतिष्ठित ब्रांड/संस्थानों से म0प्र0 भण्डार कय एवं उपार्जन नियम 2015 की कण्डिका 11.2 के पालन में दिनांक 23.03.2018 तक निर्धारित शर्तों के अधीन सील बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 23.03.2018 को शाम 05:30 बजे तक है। अंतिम दिनांक तक प्राप्त समस्त निविदाएं, निविदाकर्ताओं एवं कय समिति कुटुम्ब न्यायालय की उपस्थिति में दिनांक 24.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे कुटुम्ब न्यायालय रीवा में खोली जावेगी। विस्तृत निविदा शर्तों की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट [www.mphe.in](http://www.mphe.in) एवं शासकीय टेण्डर पोर्टल [www.tenders.gov.in](http://www.tenders.gov.in) पर उपलब्ध है।

  
(प्र० अन० सिंह)  
प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुम्ब न्यायालय  
जिला रीवा, म0प्र0

तकनीकी बिड -

क0	सामग्री	संख्या	तकनीकी विवरण
1	Air- Conditioner 2.0 ton	04	ISO 9001 & 14001 Certified wall Mount Split type 2.0 ton with 5 star rating in which Indoor Unit is having LED Display, Auto Restart, self diagnosis, air vent cross flow/auto with moisture removal Feature etc.
2	Air- Conditioner 1.5 ton	01	ISO 9001 & 14001 Certified wall Mount Split type 1.5 ton with 5 star rating in which Indoor Unit is having LED Display, Auto Restart, self diagnosis, air vent cross flow/auto with moisture removal Feature etc.
3	Stabilizer for 2.0 ton Air- Conditioner	04	Electronic voltage stabilizer of reputed make with voltage display and auto cut off facilities to support running of 2.0 ton capacity air-conditioner.
4	Stabilizer for 1.5 ton Air- Conditioner	01	Electronic voltage stabilizer of reputed make with voltage display and auto cut off facilities to support running of 1.5 ton capacity air-conditioner.

  
 पी० एन० सिंह  
 प्रधान न्यायाधीश  
 कुलुम्ब न्यायालय रीवा (म०प्र०)

- वित्तीय बिड -

:: आवश्यक निर्देश ::

1. वित्तीय बिड (रूपये में) समस्त कर, इंस्टालेशन चार्ज, भाड़ा इत्यादि सहित।
2. बिड दरों में 05 साल की ऑनसाईट वारण्टी एवं टैक्निकल सपोर्ट समाहित हो।
3. सभी प्रकार के करों एवं कय मूल्य का खुलासा एवं सकल योग स्पष्ट रूप से निविदा में अंकित किया जावे।

निविदाकर्ता संस्था का नाम .....

ए0सी0 की कंपनी .....

ए0सी0 का मॉडल .....

क्र०	समग्री विवरण	प्रति नग दर	टैक्स विवरण	मूल्य	ए0सी0 संख्या	कुल मूल्य
1	Split Air-Conditioner of 2.0 ton capacity with 5 star rating (including all necessary accessories and installation charge)				04	
2	Split Air-Conditioner of 1.5 ton capacity with 5 star rating (including all necessary accessories and installation charge)				01	
3	Stabilizer for 2.0 ton Air-Conditioner				04	
4	Stabilizer for 1.5 ton Air-Conditioner				01	

बिड का कुल मूल्य (रूपये में) .....

बिड का कुल मूल्य (शब्दों में) .....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील .....

निविदाकर्ता का नाम .....

संपूर्ण पता .....

दूरभाष नं० एवं ईमेल आई0डी0 .....


दिनांक .....

## निविदा शर्तें

1. निविदा दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफे में जिसके अन्दर दो पृथक सीलबंद लिफाफे (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) के साथ जमा किये जावेंगे। कोई भी निविदा विज्ञप्ति में दर्शित अंतिम दिनांक के बाद स्वीकार नहीं की जावेगी। पोस्ट अथवा कोरियर से निविदाओं को भेजा जा सकेगा, किन्तु इस माध्यम से समय उपरांत प्राप्त निविदाओं के लिये कुटुम्ब न्यायालय रीवा उत्तरदायी नहीं होगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी बिड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के नाम रु0-10,000/- मूल्य की प्रतिभूति राशि जमा किये जाने बावत् सहमति पत्र, निविदा शर्तें मानने बावत् हस्ताक्षरित पत्र, विगत 03 वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न, सर्विस टैक्स पंजीयन, वेट रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर, मान्य टिन नंबर, कंपनी प्रोफाईल/टर्न ओवर समाहित होगा। इसके अतिरिक्त निविदाकर्ताओं को ए0सी0 की सेल्स, सर्विस एवं टैक्निकल सपोर्ट में न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र तथा विगत 03 वर्षों में केन्द्र शासन/राज्य शासन/प्रतिष्ठित निजी संस्थान में ए0सी0 की सप्लाई संबंधी जानकारी तकनीकी बिड में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। समस्त निविदाकर्ताओं द्वारा प्रतिष्ठित ब्राण्ड के ए0सी0 की निविदाएं ही प्रस्तुत की जायेगी।
3. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर से निविदा स्वीकृति की अनुशंसा एवं प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत इस कार्यालय द्वारा सूचना दिये जाने के 03 दिवस के अन्दर सफल निविदाकर्ता द्वारा राशि रु0-10,000/- की प्रतिभूति राशि जमा करने पर ही सामग्री का कय आदेश जारी किया जावेगा।
4. सफल निविदाकर्ता द्वारा कय की जाने वाली सामग्री प्रदाय एवं इंस्टालेशन किये जाने के उपरांत विभागीय कय समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही देयक भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा सामग्री मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापिस की जावेगी।
5. तकनीकी बिड का लिफाफा समस्त निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में दिनांक 24.03.2018 को खोला जावेगा। यदि निविदाकर्ता का कोई प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहता है तो निविदाकर्ता को इस बावत् संस्था द्वारा अधिकृत पत्र प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बिड में दर्शित दस्तावेजों एवं निविदा शर्तों के मूल्यांकन पश्चात् कय समिति द्वारा बिड में दर्शित सामग्री के तकनीकी मापदंडों में सफल पाये जाने पर ही निविदाकर्ता की वित्तीय बिड का लिफाफा खोला जावेगा।
6. सफल निविदाकर्ता को कय आदेश जारी होने के पश्चात् कय आदेश मूल्य के 05 प्रतिशत मूल्य की राशि निष्पादन प्रतिभूति के रूप में डी0डी0/एफ0डी0आर0 द्वारा प्रधान

न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय रीवा के नाम जमा करानी होगी। जो ए०सी० के इन्स्टालेशन होने से 60 दिवस की अवधि तक मान्य होगी। उक्त निष्पादन प्रतिभूति के प्राप्त होने के पश्चात् सफल निविदाकर्ता को पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। सभी निविदाकर्ता निर्धारित आई०एस०ओ० प्रमाण-पत्रों का पालन सुनिश्चित करें।

7. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में प्रस्तुत प्रत्येक ए०सी० पर न्यूनतम 05 वर्षों की ऑनसाईट वारण्टी एवं स्टेप्लाइजर पर न्यूनतम 03 वर्षों की वारण्टी प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। वारण्टी अवधि में ए०सी० अथवा स्टेप्लाइजर में किसी प्रकार की समस्या आने पर 02 कार्य दिवसों में ठीक कराया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त सफल निविदाकर्ता को कय आदेश जारी होने के अधिकतम 15 दिवस के अन्दर सामग्री प्रदाय कर इन्स्टालेशन कराया जाना होगा।
8. समस्त निविदाएं तथा उनमें दर्शित दरें तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक से न्यूनतम 03 माह की अवधि तक मान्य होना आवश्यक है। ऐसा न होने की दशा में निविदा निरस्त करते हुये प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकती है।
9. सफल निविदाकर्ता द्वारा समस्त 05 नग ए.सी. का इन्स्टालेशन कुटुम्ब न्यायालय रीवा में किया जावेगा।
10. किसी भी समय बिना किसी कारण के संपूर्ण निविदा अथवा किसी सामग्री को निविदा से खारिज करने एवं निविदा से संबंधित सभी अधिकार प्रधान न्यायाधीश महोदय के अधीन सुरक्षित रहेंगे।

  
श्री० एन० सिंह)  
प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुम्ब न्यायालय  
जिला रीवा, म०प्र०